

A/S
1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी-

श्री घनश्याम शर्मा

आर.ए.एस

मिसल संख्या

तारीख दायर

तारीख फैसला

04 / अपील / 2022

24.01.2022

05.07.2024

जेबुन्निसा पुत्री शुभराती खॉ पत्नि इस्हाक मोहम्मद निवासी मकान नं. 1-बी-35 तलवण्डी, कोटा (राज.)।

-अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)।

-रेस्पोडेन्ट

उपस्थित-

अपीलान्ट की ओर से-श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड.

रेस्पोडेन्ट की ओर से-पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली के आदेश दिनांक 24.12.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा ग्राम मांगलीखुर्द भू.अभि.नि. बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा संख्या 110, 111, 112, 246/110, 247/110, 248/110, 45 एवं 45/173 की आराजी में से लगभग 13 बीघा आराजी की रिलीज-डीड के आधार पर इंतकाल तस्दीक करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष पेश किया था। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलान्ट के खाते की भूमि को अन्य पांच खातेदारों की भूमि में बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सम्मिलित कर दिया तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के उक्त सम्मिलित आराजी में शामिल करते हुये जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 "जिसमें काश्तकार का नाम, पिता, जाति तथा निवास का विवरण होता है" उसमें अनावरुक रूप से एक जुमला "सरकार खातेदार" दर्ज कर दिया। यह सब सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने षडयंत्रपूर्वक राजस्व अभिलेख में हेरफेर कर दिया है। पूर्व में उक्त आराजी का इंतकाल मेनुवली तस्दीक किया गया है लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा "ई-धरती सॉफ्टवेयर" में कॉलम संख्या 6 काश्तकार का नाम कॉलम में सरकार खातेदार का ऑप्शन नहीं होने से इंतकाल तस्दीक नहीं किया जा सका है तथा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अपीलान्ट के इंतकाल आवेदन पर यह नोट अंकित किया है कि "ई-धरती सॉफ्टवेयर" में "सरकार खातेदार" काश्तकार का

97
अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

नाम कॉलम नं. 6 में किसी भी प्रकार का नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। केवल "न्यायालय आदेश" प्रकार के द्वारा ही नाम दर्ज किया जा सकता है। उक्त तकनीकी बिन्दु के आधार पर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा इंतकाल तस्दीक नहीं किया गया है जबकि मेनुवली इंतकाल तस्दीक होने में कोई पाबंदी नहीं है। सेटलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी में तत्कालीन खातेदार शुभराती खॉ के नाम के आगे "सरकार खातेदार" अंकित नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर मेनुवली इंतकाल तस्दीक किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1997 पेज 237 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जेबुन्निसा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया कि पिता शुभराती खॉ को देहान्त दिनांक 13.10.2006 को हो चुका है जिसके वारिसान अफजल हुसैन, जाकिर हुसैन पिसरान शुभराती खॉ, नेक परवीन खिलजी, जेबुन्निसा पुत्री शुभराती खॉ हैं। दिनांक 26.07.2021 को अफजल हुसैन, जाकिर हुसैन पिसरान शुभराती खॉ, नेक परवीन खिलजी पुत्री शुभराती खॉ द्वारा जेबुन्निसा पुत्री शुभराती खॉ के पक्ष में हक त्याग कर दिया था जिसका नामान्तरकरण खुलवाना चाहती हैं परन्तु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 69 व जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 71 का अवलोकन करने से सरकार खातेदार दर्ज हैं। जेबुन्निसा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पटवारी के यहां जिसमें आक्षेप यह लगाया गया है कि ई-धरती सॉफ्टवेयर में "सरकार खातेदार" काश्तकार का नाम कॉलम नं. 6 में किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। केवल न्यायालय "आदेश प्रकार" के द्वारा ही नामान्तरकरण दर्ज किया जा सकता है। जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 का अवलोकन करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि प्रत्येक खातेदार का क्षेत्रफल अलग-अलग दर्शाया गया है जिसका योग 70 बीघा 17 बिस्वा आता है परन्तु खसरा संख्या का क्षेत्रफल का योग करने से 48 बीघा 01 बिस्वा आता है। अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2021 के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है, वह आदेश तहसीलदार हिण्डोली का ना होकर केवल पटवारी रिपोर्ट ही अंकित है।

अतएव: परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारहीन पाए जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर,
बूदी (गज.)